न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 19/2025 निर्णय दिनांकः– 14-05-2025
(जीसीएमएस संख्या 2025/68)

1. सुखवीर पुत्र श्री शिवलाल जाति धानका निवासी चक 3 के.एल.डी., तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

–रेस्पोडेन्ट

1. कमला देवी पत्नी हंसराज पुत्र शिवलाल जाति धानका निवासी चक 3 के.एल.डी., तहसील खाजूवाल, जिला बीकानेर, हाल सादूलशहर, जिला हनुमानगढ।
2. सुभाष
3. दीनदयाल
4. विकी
5. मंजू

पि. हंसराज पुत्र शिवलाल जाति धानका निवासी एल.के.डी.,तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर, हाल सादूलशहर, जिला हनुमानगढ।

–गौणरेस्पोडेन्टान

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 21–02–2025
उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला

उपस्थितः

1. श्री विजय पारीक, अभिभाषक अपीलांट
2. सुश्री संगीता गहलोत, अभिभाषक गौण रेस्पोडेन्ट सं 1 ता 5
3. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के निर्णय व डिक्री दिनांक 21–02–2025 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा वादी/अपीलांट् का वाद रिकार्ड व कानून के विपरीत जाकर खारिज फरमा दिया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि तहसील खाजूवाला के चक 3 के एल डी के मुरब्बा नम्बर 236/12 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि अपीलांट एवं गौण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के दादा को दिनांक 30–07–1973 को आवंटन अधिकारी द्वारा कीमतन आवंटन की गई थी। जिसकी तमाम राशी अपीलांट के दादा द्वारा खजानाराज में जमा करवाने के पश्चात वादगत भूमि के खातेदारी अधिकार अपीलांट एवं गौण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के दादा को प्रदान किये गये थे। वादगत भूमि जब आवंटित की गई थी तब ना तो भूमि में से कोई कटानी रास्ता मौजूद था तथा ना ही कोई कदीमी रास्ता मौजूद था। तत्पश्चात सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ मुकाम बीकानेर ने उक्त भूमि के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 में से 2–2 बिस्वा कुल तादादी 10 बिस्वा भूमि रास्ते में दर्ज कर ली गई। अपीलांट की भूमि में से किला नम्बर 21 ता 25 में भी रास्ता कायम कर दिय गया। इस प्रकार अपीलांट की भूमि में से दो–दो रास्ते कायम हो गये। अपीलांट के पूर्वजों द्वारा भूमि की समस्त राशि खजानाराज में जमा करवाई गई थी फिर भी कटान के रूप में दो रास्ते दर्ज कर दिये गये एवं उनका किसी प्रकार का कोई मुआवजा अपीलांट अथवा अपीलांट के पूर्वजों को प्रदान किया गया। यह बिन्दु स्वीकार्य है कि चक प्लान में एक मुरब्बे में एक तरफ रास्ता प्रदान किया जाता है जो आवागमन हेतु उपयोगी होता है एवं अपीलांट की भूमि में से कायम दोनों रास्तों में से एक रास्ता उपयोगी है एवं रास्ता जो सहायक आयुक्त उपनिवेशन द्वारा किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 में कायम किया गया था उक्त रास्ता के आगे व पीछे के मुरब्बे में भी रास्ते कायम किये गये थे लेकिन पूर्व में काटे गये रास्ते अनुपयोगी होने के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला द्वारा आदेश दिनांक 30–12–2001 से उक्त अनुपयोगी रास्ते निरस्त करते हुए रास्ते की भूमि काश्तकारों के नाम से पुनः अंकन करने के आदेश प्रदान किये गये। लेकिन अपीलांट की भूमि में से कायम अनुपयोगी रास्ते की भूमि पुनः अपीलांट के नाम से दर्ज नहीं की गई।

आगे अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपनी भूमि में अनुपयोगी रास्ते की भूमि को पुनः अपने नाम से दर्ज करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम पेश किया गया। जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी के वाद पर फौरी तौर पर सुनवाई करते हुए वाद में नियमानुसार तनकी कायम किये बिना ही वाद को एकतरफा तौर पर निर्णय पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादगत भूमि की रिपोर्ट तहसील से प्राप्त की गई जो दिनांक 14–01–2025 को पत्रावली में शामिल की गई। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पर किसी प्रकार की तनकी/साक्ष्य लिये बगैर ही वाद को सीधे बहस में रखा जाकर अपीलांट/वादी का वाद खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न तहसील रिपोर्ट एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी वादगत भूमि के पडौसियों द्वारा अपीलाधीन अराजी के रास्ते को अनुपयोगी माना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को अपने वाद में सम्पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2007 पेज 650, आरआरडी 2009 पेज 269 व आरआरडी 1978 पेज 365 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने पत्रावली पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट् द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्व जिसके द्वारा अपीलांट्/वादी का वाद खारिज किया गया है, प्रस्तुत की गई है। अदालत मातहत द्वारा तमाम दस्तावेजों के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अवलोकन के पश्चात् आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलांट् द्वारा गैर मुमकिन रास्ता भूमि को निरस्त कर अराजीराज करवाने का वाद प्रस्तुत किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय को सार्वजनिक रास्ता भूमि को अराजीराज दर्ज करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होने से एवं वादपत्र सारहीन होने के कारण वाद खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् अब इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 व धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत दावा पेश किया। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21–02–2025 जिसके द्वारा अपीलांट/वादी का दावा सारहीन होने के कारण खारिज किया गया है के विरुद्व अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट् एवं उसके पूर्वज वादगत् भूमि पर आवंटन के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे है तथा अपीलांट के पूर्वजों द्वारा आवंटित भूमि की समस्त राशि जमा करवाने के पश्चात आवंटन अधिकारी द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये थे। अपीलांट वादगत भूमि के खातेदार काश्तकार होने के आधार पर अपीलांट के खेत में मौजूद अनुपयोगी रास्ते की भूमि को पुनः अपीलांट के हक में खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है।

हमनें अदालत मातहत की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय व प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी/अपीलांट ने वादगत भूमि अपीलांट व अपीलांट के पूर्वजों की खातेदारी भूमि होने के आधार पर अपीलाधीन अराजी में दोहरे एवं अनुपयोगी रास्ते को निरस्त करते हुए अराजीराज घोषणा करवाने के अनुतोष के आधार पर वाद पेश किया। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नांकित बिन्दुओं पर कोई विवेचन नहीं किया कि:— 1. क्या अपीलाधीन अराजी चक 3 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 236/12 अपीलांट के पूर्वजों को आवंटन हुई थी?

2. क्या यह अराजी पूरी 25 बीघा आवंटित हुई थी अथवा रास्ते की भूमि छोडकर आवंटित हुई थी?

3. क्या आवंटी द्वारा पूरे 25 बीघा भूमि की समस्त राशि खजानाराज में जमा करवा दी गई अथवा नहीं?

4. क्या मुरब्बा नम्बर 236/12 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 में स्वीकृत रास्ता किसी सक्षम आदेश द्वारा दर्ज हुआ है?

5. क्या इस रास्ते के आगे व पीछे कोई रास्ता उपलब्ध है अर्थात क्या यह उपयोगी रास्ता है अथवा नहीं?

उपरोक्त बिन्दुओं पर बिना कोई विवेचन किये एवं बिना कोई साक्ष्य लिये सीधे पत्रावली बहस हेतु नियत करते हुए उसी दिन बहस सुनना बताया जाकर उसी दिन अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना परिलक्षित होता है। जो कि पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21—02—2025 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपर्युक्त बिन्दुओं की जांच कर, साक्ष्य लेते हुए तथा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करे हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। तब तक अपीलाधीन अराजी तहसील खाजूवाला के चक 3 के एल डी के मुरब्बा नम्बर 236/12 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 कुल तादादी 5 बीघा भूमि के मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 15-05-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर